

## मूल वाद में डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बड़जलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या- 180 /2018

1. शिवराज पिता हरिकिशन जाट, निवासी - आनन्दीपुरा तहसील हुरडा।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील हुरडा।

-वादीगण

प्रेषित:-

-प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से शिवराज प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 09.05.2018 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा आनन्दीपुरा पटवार हल्का कोटडी कि आराजी न0 19, 27, 122, 126 किता 4 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा भूमि में शिवराज पिता हरिकिशन 1/3, गणेश पिता हरिकिशन 1/3, मु0 रामु बेवा हरिकिशन 1/3 दर्ज किया जावें तथा शेष बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें।

और इसके वाद के खर्च लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

सह आज तारीख 09.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

उपरखण्ड अधिकारी  
एचं पदेन सहायक कलेक्टर  
गुलाबपुरा केम्प



वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रुपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना	00	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील					
8. स्टाम्प					
योग:-	00	00		00	00